

2 pages

358



1
130/2017

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0नं0-11-14

क्रमांक-130/2017

सं0 ई/207/1/भाग-24/चार

दिनांक 10-07-2017

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

पूर्वोत्तर रेलवे।

"आरबीए सं0-68/2017 का शुद्धिपत्र"

विषय:-01.01.2016 से पूर्व पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स के पेंशन के रिविजन को लागू करना।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 2016/एसी-11/21/8 दिनांक 21.06.2017 (आरबीए सं0-75/2017) की अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

बोर्ड के संदर्भित पत्र दिनांक 09.06.2017 (आरबीए सं0-68/2017) इस कार्यालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 03.07.2017 (क्रमांक-121/2017) द्वारा पूर्व में परिचारित किया जा चुका है।

संलग्नक/यथोपरि

(Signature)
10.07.17

(ए0 के0 सिंह)

उपमुकाधि/अराज.

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 6- मुकार्याधी/एमपीपी को वेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

(Signature)
10.07.17
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

महाप्रबन्धक कार्यालय
उत्तरी मेलवे, गोरखपुर

28 JUN 2017

महाप्रबन्धक

सचिव



2
130/3017

Government of India
Ministry of Railways
Railway Board

Corrigendum to RBA no. 68/2017

CORRIGENDUM

RBA No 75/2017

No. 2016/AC-II/21/8

New Delhi dated: 21.06.2017 29/6/17

GMs/CPOs/FA&CAOs,
All Zonal Railways/PUs

NER/Gorakhpur 28/6/17

Sub: Implementation of Revision of Pension of Pre-1.1.2016 Pensioners/Family Pensioners.

Ref: Board's letter of even no. dated 09.06.2017- RBA NO. 68/2017.

In partial modification to RBA no. 68/2017 under reference, the date of retirement of Central Government Pensioners/family pensioners who retired/died prior to 01.07.2016 as mentioned in first para may be read as 01.01.2016, repeat 01.01.2016, instead of 01.07.2016. All other details remains unchanged.

(V.Prakash)
Joint Director Accounts
Railway Board

633

37